

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड-(ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय  
उद्योग भवन


अधिसूचना सं 16 / 2015–2020  
नई दिल्ली, दिनांक: 02 जुलाई, 2018

विषय: आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची – 1 (आयात नीति) के अध्याय 09 के तहत ताजा अदरक की आयात नीति में संशोधन।

सा.आ.(अ.): समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2017 अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 9 के एकिजम कोड 0910 11 10 के तहत निम्नलिखित संशोधन करती है:

एकिजम कोड	मद विवरण	मौजूदा नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
अदरक:	—	—	—	—
0910 11	न तो कुचला हुआ और न ही पिसा हुआ	—	—	—
0910 11 10	ताजा	प्रतिबंधित	—	तथापि, नेपाल से पूर्ण रूप से उत्पादित अदरक का आयात व्यापार की भारत–नेपाल संधि के अनुच्छेद iv और v के अधीन मुक्त है।

4. इस अधिसूचना का प्रभाव: एकिजम कोड 0910 11 10 के तहत वर्गीकृत, नेपाल में पूर्ण रूप से उत्पादित ताजा अदरक का आयात 'मुक्त' है।



(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई-मेल: dgft@nic.in